एक नजर में

कलेक्टर कन्याल ने सौंपे पेंशन भुगतान आदेश

गुना। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जनवरी 2026 में अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए चार कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान किए। शासन की मंशानुसार सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की कड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का शॉल, श्रीफल एवं पुष्पमाला पहनाकर आत्मीय सम्मान किया और उनके सुखद एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। पीपीओ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) से दुर्गा प्रसाद कुशवाह सहित शिक्षा विभाग के ओमवीर सिंह रघुवंशी, शिवनंदन यादव और चन्द्रेश जैन शामिल रहे। समारोह के दौरान कलेक्टर ने इन कर्मचारियों द्वारा अपने लंबे सेवाकाल में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा से निवृत्त होना जीवन के एक अध्याय का समापन और नई पारी की शुरूआत है।

निशान साहित्यिक मंच की गोष्ठी आयोजित

गुना। अदब, अमन और उम्मीदों का अभियान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान के ध्येय वाक्य के साथ गुना के निशान साहित्यिक मंच द्वारा फरवरी माह की काव्य गोष्ठी एवं समीक्षा 'नशिस्त' का आयोजन रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक निजी होटल के परिसर में किया गया। गोष्ठी का आगाज देश के प्रसिद्ध शायर ताहिर फराज को श्रद्धांजलि देकर किया गया। अध्यक्षता कर रहे यावर अब्बासी ने अज्म शाकिरी की पंक्तियाँ 'बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर' पढ़कर वर्तमान दौर के पाखंड पर कटाक्ष किया।

सिस्टम की सुस्ती ने छीनी शहर की 'संजीवनी'

दूषित खान-पान और बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों के बीच पिस रही जनता

सुविधाओं एवं स्टाफ की कमी के चलते ज्यादातर संजीवनी क्लीनिकों पर डले हुए हैं ताले

नवभारत न्यूज

गुना 16 फर. का। जिले में इन दिनों जनस्वास्थ्य से जुड़े दो बेहद संवेदनशील मामले चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ जहां शहर के होटलों और बाजारों में खुलेआम बिक रही दूषित खाद्य सामग्री और सड़ी-गली सब्जियां लोगों को बीमार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बनाई गई 'मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक' योजना खुद प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार होकर दम तोड़ रही है।

करोड़ों रुपये की लागत से बने आधुनिक भवन आज ताले में बंद हैं, जबकि शहर का गरीब तबका इलाज के लिए जिला

अस्पताल की लंबी कतारों में धक्के खाने को मजबूर है। गुना शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गलियों तक, होटलों और रेस्टोरेंट्स की स्थिति चिंताजनक है। नियमों को ताक पर रखकर संचालक काउंटर पर खुले में समोसे, कचौड़ी और जलेबी जैसे खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। धूल, धुएं और मक्खियों के बीच रखे ये पदार्थ सीधे तौर पर मौसमी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस बात से भली-भांति परिचित है कि दूषित खान-पान ही अधिकांश पेट संबंधी बीमारियों की जड़ है, इसके बावजूद धरातल पर कोई ठोस अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालांकि, प्रशासन 'मिलावट से मुक्ति' अभियान के तहत सैंपलिंग की खानापूर्ति जरूर कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव शून्य नजर आता है। व्यापारियों में डर न होने का सबसे बड़ा कारण लैब रिपोर्ट आने में होने वाली अत्यधिक देरी है। जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक दुकानदार हजारों लोगों को दूषित सामग्री खिला चुका होता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं में 'संदेह का लाभ' मिलना विक्रेताओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यही कारण है कि कार्रवाई के बावजूद मिलावटखोरी और लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा है।

मंडियों में सड़ी सब्जियां और आरओ प्लांटों की मनमानी

खाद्य सुरक्षा का संकट केवल होटलों तक सीमित नहीं है। शहर की सब्जी मंडियों में सड़ी-गली और घटिया गुणवत्ता वाली सब्जियां कम दाम का लालच देकर बेची जा रही हैं। मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अनजाने में इन जहरीली सब्जियों का सेवन कर अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब गर्मियों का सीजन शुरू होते ही 'पानी के खेल' का कारोबार भी चमक उठा है। शहर में कुकुरमुत्ते की तरह उगे निजी आरओ प्लांट बिना किसी मानक के पानी बेच रहे हैं। शासन के नियमानुसार, आरओ प्लांट संचालित करने से पहले सीएमएचओ कार्यालय के खाद्य एवं औषधि विभाग से ऑनलाइन पंजीयन और मौके पर जांच अनिवार्य है। लेकिन गुना में न तो संचालक इन नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही विभाग उनकी निगरानी कर रहा है। जिला अस्पताल के डरावने आंकड़े बताते हैं कि पेट दर्द की शिकायत लेकर आने वाले हर 10 में से 3 मरीजों को पथरी की समस्या निकल रही है, जिसका सीधा संबंध अमानक और दूषित पानी से है।

'संजीवनी' की तलाश में भटकती संजीवनी क्लीनिक योजना

एक ओर खान-पान दूषित है, तो दूसरी ओर इलाज की व्यवस्था भी जर्जर है। पिछड़ी बस्तियों को स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई संजीवनी क्लीनिक योजना गुना में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। शहर के कोल्हुपुरा, मातापुरा, बूढ़े बालाजी, हड्डीमील और भुल्लनपुरा जैसे क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से 6 भव्य भवनों का निर्माण किया गया था। नवंबर 2022 में इनका काम शुरू हुआ और नगर पालिका ने इन्हें तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप भी दिया। विडंबना देखिए कि इनमें से केवल 2 क्लीनिक (विशेषकर हड्डी मील) ही सुचारू रूप से संचालित हो पा रहे हैं, जबकि अन्य 4 पर ताले लटके हैं। प्रत्येक भवन पर 25 लाख रुपये खर्च किए गए थे ताकि गरीब मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के लिए जिला अस्पताल न जाना पड़े। आज ये भवन स्वास्थ्य विभाग के पास हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि उनके पास न तो पर्याप्त स्टाफ है और न ही संसाधन। विभाग अब 'पत्राचार' की आड़ लेकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक भोपाल से प्रतिक्रिया नहीं आती, वे कुछ नहीं कर सकते।

असामाजिक तत्वों का अड्डा बन रहे सरकारी भवन

लाखों की लागत से बने ये भवन अब धीरे-धीरे जर्जर हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि देखरेख के अभाव में ये वीरान इमारतें रात के समय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही हैं। अगर ये क्लीनिक शुरू होते, तो मरीजों को 68 प्रकार की मुफ्त जांचें और 100 से अधिक प्रकार की दवाइयां घर के पास ही मिल जातीं। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और गंभीर रोगों जैसे कैंसर व मधुमेह की स्क्रीनिंग भी यहीं संभव थी। लेकिन वर्तमान में यह महत्वाकांक्षी योजना केवल कागजों और बंद कमरों तक सीमित रह गई है। कुल मिलाकर, गुना में जनस्वास्थ्य के साथ दोहरा खिलवाड़ हो रहा है। यदि समय रहते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तत्परता नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है।

नपा टीम ने शहर के मुख्य मार्गों से हटाया अतिक्रमण

गुना। शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात को सुचारु बनाने और अतिक्रमण की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सोमवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंजुषा खत्री के निर्देश पर रेलवे स्टेशन रोड और कोऑपरेटिव बैंक के आसपास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों और मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर जुमार्ने की कार्रवाई भी की गई। प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंजुषा खत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक अतिक्रमण के कारण बार-बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। वर्तमान में विवाह समारोहों के मुहूर्त के चलते शहर में बाहर से आने वाले नागरिकों और वाहनों का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण से यातायात बुरी तरह बाधित हो रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अमित कुमार आर्य के नेतृत्व में अमले ने सड़कों को साफ कराया। प्रशासन ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों और सड़कों के किनारे किसी भी प्रकार का स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण से न केवल शहर की सुंदरता खराब होती है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस या अन्य वाहनों के निकलने में भी भारी समस्या उत्पन्न होती है।

कार्रवाई के दौरान मौजूद टीम

इस मुहिम को सफल बनाने में अतिक्रमण दस्ता प्रभारी अमित कुमार के साथ नगर पालिका की सहयोगी संस्था डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट के जय दहिया, धर्मेंद्र धाकड़ और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। टीम ने न केवल सामान जब्त किया, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों को भविष्य में सड़क पर सामान न फैलाने की सख्त हिदायत भी दी।

अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या के विरोध में उबला प्रदेश

गुना। शिवपुरी जिले के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की दिन-दहाड़े हुई नृशंस हत्या ने प्रदेशभर के विधिक जगत को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में सोमवार को पूरे प्रदेश के वकील लामबंद नजर आए और सभी बार एसोसिएशन संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

इसी कड़ी में गुना जिले के अभिभाषक संघ ने भी जिला अध्यक्ष भूपनारायण सिंह सोलंकी के नेतृत्व में अपनी आवाज बुलंद की। वकीलों ने एकजुट होकर न केवल अदालती कामकाज बंद रखा, बल्कि कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर

अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ज्ञापन के माध्यम से अभिभाषकों ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि अधिवक्ताओं के हित और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' को आगामी 7 दिनों के भीतर लागू किया जाए। वकीलों का कहना है कि यदि सरकार इस समय सीमा में कानून लागू करने में विफल रहती है, तो प्रदेशभर के वकील भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए विवश होंगे। इसके साथ ही गुना के वकीलों ने अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनके क्रियान्वयन के लिए विशेष बजट आवंटन की भी मांग उठाई है। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदेश की अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। वकीलों का स्पष्ट मत है कि समाज को न्याय दिलाने वाले हाथ अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जब तक ठोस सुरक्षा कानून नहीं बनता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। सोमवार को हुए इस व्यापक विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अधिवक्ता अब अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में नहीं हैं।

वकीलों ने काम बंद रख दी सीएम हाउस घेराव की चेतावनी

गांधी वोकेशनल कॉलेज बना रोजगार का केंद्र

गुना। विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर प्लेसमेंट के लिए निरंतर प्रयासरत गांधी वोकेशनल कॉलेज आगामी 18 फरवरी को एक बड़े रोजगार अवसर का साक्षी बनने जा रहा है। महाविद्यालय परिसर में देश की प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी बजाज कैपिटल द्वारा मार्केटिंग के विभिन्न पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रबंधन ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह साक्षात्कार दोपहर 3:00 बजे से कॉलेज परिसर में शुरू होगा, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण एवं स्नातक निर्धारित की गई है। समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उनका बायोडाटा और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर कॉलेज पहुँचें।

डबल बैंच से भी नहीं मिली टीआई चंद्रप्रकाश सिंह को राहत

गुना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गुना के कोतवाली थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश सिंह चौहान के निलंबन और विभागीय जांच के सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिंगल बेंच द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

विवाद की जड़ अक्टूबर महीने में कोतवाली थाने में दर्ज एक एफआईआर है। एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। इस मामले में नामजद आरोपी महिला ने पहले जिला अदालत और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन दोनों ही जगहों से उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हैरानी की बात तब सामने आई जब कोर्ट से

राहत न मिलने के बावजूद थाना प्रभारी ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करने के बजाय महज नोटिस तामील कर छोड़ दिया। हालांकि नियमत: सात साल तक की सजा वाले मामलों में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन पीड़िता का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर आरोपी को संरक्षण दे रही है और गिरफ्तारी से बच रही है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच के दौरान निलंबित टीआई को अपनी बेगुनाही साबित करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लेंगे। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि विभागीय जांच में अब और देरी नहीं की जाएगी।

कार्रवाई से असंतुष्ट होकर पीड़ित युवती ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने 30 जनवरी को सख्त रुख अपनाते हुए टीआई को निलंबित करने और उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ टीआई चंद्रप्रकाश सिंह ने डबल बेंच में अपील की थी, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।

बोहरा समाज के रमजान शुरू मंगलवार से पहला रोजा

गुना। बोहरा समाज में हिजरी वर्ष 1447 का सबसे पवित्र महीना रमजान 17 फरवरी से आरंभ हो रहा है। पहला रोजा मंगलवार से रखा जाएगा और पूरे 30 दिन चलेंगे। अंतिम रोजा 18 मार्च को होगा और 19 मार्च, गुरुवार को ईदुल फितर मनाई जाएगी। 10 मार्च, मंगलवार की रात शबेकद्र के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें समाज के सभी सदस्य रातभर जागरण कर मस्जिद में इबादत करेंगे। बोहरा समाज के लोगों को इबादत कराने और इमामत करने के लिए तशरीफ लाए हैं।

मारकीमहू के ग्रामीणों के चहेते डॉ. धर्मेंद्र रघुवंशी का हुआ भव्य सम्मान

नवभारत न्यूज

मारकीमहू सं. क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. धर्मेंद्र रघुवंशी की पदोन्नति होने पर ग्राम मार की महू एवं आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण अंचल में अपनी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और सरल स्वभाव के कारण डॉ. रघुवंशी क्षेत्र में 'जनता के डॉक्टर' के रूप में पहचाने जाते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने डॉक्टर के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद मार की महू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं

की जो मशाल जलाई, वह अनुकरणीय है। उनकी सौम्यता और मरीजों के प्रति अपनत्व के भाव ने उन्हें हर घर का सदस्य बना दिया है। अपने सम्मान से अभिभूत डॉ. रघुवंशी ने भावुक होते हुए कहा कि पद और पदोन्नति तो सेवा का एक नया अवसर है,

लेकिन मार की महू क्षेत्र के लोगों से जो प्रेम और दुआएं मुझे मिली हैं, वे मेरी सबसे बड़ी पूँजी हैं। यहाँ के ग्रामीणों का भरोसा ही मेरी सफलता का आधार है। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों द्वारा डॉ. साहब को साफा बांधकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में एक प्रीतिभोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्र के प्रतिनिधि सहित भारी संख्या में ग्रामीण जन एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

कलेक्टर कन्याल ने दिए हेलमेट की अनिवार्यता और ब्लैक स्पॉट सुधारने निर्देश

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के लिए सुगम और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जाए। साथ ही, यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले आदतन अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। शहर के भीतर पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसडीएम और एसडीओपी को समन्वय के साथ काम करने और नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने को कहा गया। यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह द्वारा एसपी कार्यालय और जेल रोड तिराहे पर दुर्घटनाओं की आशंका जताए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल वहां स्पीड ब्रेकर बनवाने और स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साइन बोर्ड पर ब्रेकर की दूरी साफ तौर पर अंकित करने की बात कही गई ताकि चालक सतर्क रह सकें। नेशनल हाईवे और मैरिज गार्डन में पर्याप्त पार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

डीजे और मॉडिफाइड वाहनों पर सख्ती

बड़े आकार के डीजे संचालित करने की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि डीजे केवल निर्धारित स्थल (मैरिज गार्डन) पर ही तय डेसीबल सीमा में बजाए जाएं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी, विशेषकर उन डीजे पर जो तीव्र लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे सड़क पर अन्य चालकों को परेशानी होती है।

बैठक | **कलेक्टर कन्याल ने ली समय सीमा बैठक**

डिजिटल जनगणना की तैयारी, हार्वेस्टर में स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य

नवभारत न्यूज

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस बार जनगणना का कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न होगा। भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर मनोज ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि जिले में 17 और 18 फरवरी को जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

डिजिटल जनगणना के पहले चरण में 1 से 30 मई 2026 तक मकानों की गणना की जाएगी, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के साथ पूरा होगा। यह पूरी प्रक्रिया स्व-गणना पोर्टल और सीएमएमएस जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स के माध्यम से संचालित होगी।

कृषि क्षेत्र में नवाचार और

पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कृषि उपसंचालक को कड़े निर्देश दिए हैं। अब जिले में संचालित होने वाली सभी हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रॉ रीपर (भूसा बनाने वाली मशीन) लगाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई हार्वेस्टर बिना इस मशीन के चलता पाया गया, तो संबंधित मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिले में गुलाब और अमरूद जैसी फसलों को बढ़ावा देकर क्रॉप पैटर्न बदलने पर जोर दिया ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

सीएम हेल्पलाइन और अधिकारियों पर कार्रवाई

प्रशासनिक कसावट लाते हुए कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की और सभी विभागों को 90 प्रतिशत से अधिक स्कोर हासिल करने का लक्ष्य दिया। बैठक से अनुपस्थित रहने पर जीएमडीआईसी और आरटीओ के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह जानकारी दी गई कि अपर कलेक्टर अखिलेश जैन प्रत्येक गुरुवार को निवेश संवर्धन केंद्र में निवेश संबंधी मामलों की समीक्षा करेंगे।

लौटाया गया आर्थिक सहयोग

बैठक के दौरान जिले में आजीविका मिशन के तहत संचालित जिज्जी की पंचायत और रेस्ट्रोमार्ट की सफलता की झलक भी देखने को मिली। इन नवाचारों के सफल संचालन के बाद सरस्वती स्व-सहायता समूह ने जिला पंचायत द्वारा प्रदान किए गए तात्कालिक आर्थिक सहयोग की प्रथम किश्त का चेक कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में वापस सौंपा। कलेक्टर ने जिले में हर रविवार लगने वाले जैविक हाट मेले को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

In The Court Of Civil Judge Class - I Aron, District Court, Guna

Presiding Officer: बुदे सिंह सोलंकी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCSA/0000004/2025)

हरवीर सिंह.....वादी

Vs

एक्सिस बैंक, शाखा सिरसी, आरोन..... प्रतिवादी

Process Id- /2026

पेशी दिनांक :- 10/03/2026

प्रेषिती-(1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण

यह कि प्रार्थी हरवीर सिंह ने आपके विरुद्ध इस आशय की घोषणा की जाये कि वादग्रस्त भूमि के स्वत्व के समस्त दस्तावेजों यथा खसरा खतौनी एवं भू. अधिकार पुस्तिका अनुसार उपपंजीयक कार्यालय आरोन में पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 948 दिनांक 23.06.2000 में वादी के पिता का माधौसिंह के स्थान पर पहलवान सिंह माना एवं पढ़ा जावे के लिए बाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है। कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 12 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है ।

न्यायाधीश

(बी.एस. सोलंकी)

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ, आरोन जिला-गुना (म.प्र

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।